

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) उवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व उवं आपदा प्रबंधन विभाग**

क. / १५० / भू-अर्जन / 201912050400014 अ 82 / 2023 कोरबा, दिनांक ०७/०१/२४
 :-: अधिसूचना :-

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन —

1. जिला — कोरबा
2. तहसील — करतला
3. ग्राम/नगर — कछार
4. भूमि का क्षेत्रफल — 0.065 हे.

ख.नं.	रक्का
159	0.065
योग	01
	0.065

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।
5. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 एवं भू अर्जन अधिकारी
 कोरबा, जिला-कोरबा

(अज्मेत वसंत)
 कलेक्टर
 जिला कोरबा
 एवं पदेन उप सचिव
 छ.ग.शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग